मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

॥ आदेश ॥

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2012

क्रमांक-एफ-5-14/2005/10-3 :: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि पर ज्ञाप क्रमांक–935/10/3/2000 दिनांक 22 फरवरी 2000 से लिए जा रहे पंजीयन/ प्रोसेसिंग शुल्क की दरों को पुनरीक्षित करने एवं इसी प्रकार सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण के प्रकरणों में भी पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क लिए जाने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

2/ उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित वनभूमि के प्रकरणों में पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क की पुनरीक्षित दरें एवं सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण के प्रकरणों में पंजीयन/ प्रोसेसिंग शुल्क की दरें आदेश जारी होने के दिनांक से निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

<u>वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण</u>

(1) पंजीयन शुल्क रू. 5000/- प्रति प्रस्ताव।

(2) प्रोसेसिंग शुल्क :-

भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकार/केन्द्र शासित सरकार के विभाग/ उपक्रम के प्रकरण

क्र.	श्रेणी	शुल्क(रूपये में)
1	40 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	30,000.00
2	40.1 से 100 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	50,000.00
3	100.1 से 250 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	75,000.00
4	250 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के प्रस्तावों के लिए	1,50,000.00

<u>निजी संस्थानों के प्रकरण</u>

क्र.	श्रेणी	शुल्क(रूपये में)
1	5 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	25,000.00
2	5.1 से 10 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	50,000.00
3	10.1 से 15 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	75,000.00
4	15.1 से 40 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	1,50,000.00
5	40 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के प्रस्तावों के लिए	2,00,000.00

<u>मध्यप्रदेश शासन के विभाग/उपक्रम के प्रकरण</u>

(1) पंजीयन शुल्क रू.1000/- प्रति प्रस्ताव।

(2) प्रोसेसिंग शुल्क :-

क्र.	श्रेणी	शुल्क(रूपये में)
1.	50 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	5,000.00
2.	51 से 100 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	7,500.00
3.	101 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के प्रस्तावों के लिए	15,000.00

सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण के प्रकरण

(1) पंजीयन शुल्क :- रू. 5000/- प्रति प्रस्ताव।

(2) प्रोसेसिंग शुल्क :-

<u>भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकार/केन्द्र शासित सरकार के विभाग/ उपक्रम के प्रकरण</u>

क्र.	श्रेणी	शुल्क(रूपये में)
1	40 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	15,000.00
2	40.1 से 100 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	25,000.00
3	100.1 से 250 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	37,000.00
4	250 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के प्रस्तावों के लिए	75,000.00

<u>निजी संस्थानों के प्रकरण</u>

क्र.	श्रेणी	शुल्क(रूपये में)
1	5 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	12,500.00
2	5.1 से 10 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	25,000.00
3	10.1 से 15 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	37,500.00
4	15.1 से 40 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	75,000.00
5	40 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के प्रस्तावों के लिए	1,00,000.00

3/ उपरोक्तानुसार जमा किया गया पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क वापसी योग्य नहीं (non-refundable) होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक-एफ-5-14/2005/10-3 भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. सचिव (समन्वय) मुख्या सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग ....
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी/कार्य आयोजना/सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश
7. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
8. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
9. समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश
10. समस्त वन संरक्षक(क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश
11. समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश
12. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी वन/राज्य मंत्री जी, वन
13. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रतिलिपि
समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / समस्त वन मण्डल अधिकारी (म.प्र.)
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेयु अग्रेषित। कृपया तत्काल उक्त आदेश का पालन करें